

पर कबिज है फलकारों के मध्य शक्ति का मौखिक रूप से बरवादा है विधिगत बरवारा नही होने से प्राची व पिप्राची के मध्य सेटों को लेकर झगडा रहता है विप्राचीगण प्राची के हिस्से की शक्ति एवं उसके कस्ते का मत है तगातार देखल-दान कर रहे हैं मौखिक बरवादा के हिसाब से कायम सेटों को तोड रहे है विप्राचीगण विधिगत बरवारा करवाने से पूर्व ही प्राची के कस्ते का मत की शक्ति को बेचने की इतारु है। प्राची अधिपत्या की एक तरफा बहस बुनी गई उभावली का शिपलोकन किया गया पुराना इच्छा सुविधा का संतुलन प्राची के पक्ष में है अवरणीय प्रति का विरुद्ध ही प्राची के पक्ष में है

अतः उकरा में जबाब देना होने तक अतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा प्राची के पक्ष में एवं विप्राची संख्या 1 से 25 के विरुद्ध इस उकार जारी की जाती है कि मौजा बाडपेर मगरा परवार क्षेत्र बाडपेर सागौर तहक व जिला बाडपेर खसरा नं 205 रकबा 51.18 बीघा व खसरा नं 207 रकबा 20.05 बीघा कुल रकबा न 2.03 बीघा में मौजे की यथास्थिति बनाये रखे। अप्राचीगण की तलबी जरिये वरिष्ठ नोटीस करवाई जावे उभावली दिनांक 31.8.22 को देना है

(Signature)
सहायक कलेक्टर
(SDO) बाडपेर

18/17
12-7-22

5/04/22

वकील प्राची एवं प्राची के आवेदन पर उभावली आज देखा हुई। प्राची ने उर्धना-पत्र उछुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा के उर्धना-पत्र को आगे नही चलाने का निवेदन किया। वकील प्राची ने नोट उतव में इसी तरह पर ब्यापक करने का निवेदन किया। अतः प्राची एवं वकील प्राची के नोट उतव के आधार पर स्थान उर्धना पत्र इसी तरह पर ब्यापक किया जाता है (जहाँ) जहाँ उगत हो।

(Signature)
सहायक कलेक्टर
(SDO) बाडपेर

Not Proper
01/12/22